तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
17/10/23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप० है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा०प० धारा 151 CPC बाबत मूलवाद के निस्तारण तक वाद की कार्यवाही रोके जाने बाबत प्रस्तुत किया प्रा:प० पर बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। धारा 151 CPC के अनुसार वादी द्वारा एक ही प्रतिवादी के विरुद्ध एक ही न्यायालय में एक ही वाद हेतुक के आधार पर एक ही अनुतोष की प्रार्थना करते हुए दायर किया गया है जबकि प्रथम वाद का अंतिम रूप से निपटारा नही किया गया है तो यह न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा और न्यायालय ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती वाद को स्थगित कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य भूमि का विभाजन अधिकारिक रूप से नही हुआ है और प्रार्थी द्वारा मात्र कब्जा कथ्य के आधार पर रास्ता चाहा गया है। विभाजन का वाद पूर्व से ही न्यायालय में जेरकार है। अतः यह स्पष्ट है कि बिना विभाजन के नियमानुसार स्पष्ट रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि को परिभाषित नही किया जा सकता है व पूर्ववर्ती वाद का निस्तारण होने के पश्चात ही इस वाद का निस्तारण हो सकता है। अतः धारा 151 CPC की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा०प० 251(A) मि०न० 13/2023 की कार्यवाही को मूल वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। मिसल दिनांक 17/10/23 को पेश हो। [signature]	